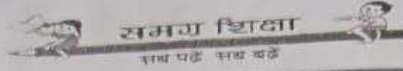


कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक
समग्र शिक्षा, कोण्डागांव, जिला - कोण्डागांव (छ.ग.)
Email- dpckgn@gmail.com



क्र./639/स्था/स.शि./2023-24

कोण्डागांव, दिनांक 29/09/2023

—आदेश—

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर के आदेश क्र./1880/समग्र शिक्षा/प्रारंभिक/माध्यमिक/समावेशी शिक्षा 24-14/2023-24 रायपुर दिनांक 14/07/2023 एवं सत्र 2023-24 में वार्षिक कार्य योजनाएं एवं बजट में स्वीकृत स्पेशल एजुकेंटर के स्वीकृत रिक्त पद पर जिला नियुक्ति समिति के द्वारा निम्नलिखित अभ्यर्थी का चयन किया जा कर स्पेशल एजुकेंटर (अस्थाई) के पद पर नीचे वर्णित शर्तों के अधीन उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक में अस्थाई नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	जाति/वर्ग	पद नाम	निश्चित मानदेय	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5	6
1	सुखदेव पिता श्री सोनाराम ग्राम.परसोड़ी पो.सोन तह. मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ0ग0)	अ0ज0जा0 (मुक्त)	स्पेशल एजुकेंटर	रुपये 20000/- प्रतिमाह	कार्यालय विकासखण्ड स्रोत समन्वयक समग्र शिक्षा विकासखण्ड -कोण्डागांव
2	कु0 गंगेश्वरी पिता श्री जनकराम राज ग्राम. कांचरा, पो. मिटठू नवागांव, जिला बिलासपुर (छ0ग0)	अ0ज0जा0 (महिला)	स्पेशल एजुकेंटर	रुपये 20000/- प्रतिमाह	कार्यालय विकासखण्ड स्रोत समन्वयक समग्र शिक्षा विकासखण्ड -माकड़ी

सेवा एवं शर्तें :-

1. इस नियुक्ति में राज्य शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
2. यह नियुक्ति अनुबंध के आधार पर विशुद्ध रूप से अस्थाई एवं निर्धारित अवधि के लिए है। अतः अभ्यर्थी कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक एवं अन्य उच्च स्तरीय कार्यालय को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं करेगा।
3. अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से रखे गये इन कर्मचारियों को मानदेय वृद्धि एवं नियमितिकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने की पात्रता नहीं होगी।
4. यह नियुक्ति मार्च 2024 तक के लिये ही होगी, समग्र शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में इन पदों के वेतन भुगतान हेतु आबंटन स्वीकृत नहीं होने की दशा में इनकी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकती हैं।
5. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात 15 दिन के अंदर जिला मिशन कार्यालय समग्र शिक्षा जिला कोण्डागांव में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से अपना फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
6. नियुक्त कर्मचारी को प्रतिमाह रुपये 20000/- निश्चित एवं एकमुश्त मानदेय प्रदान किया जायेगा, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
7. नियुक्त कर्मचारी अगर सेवा से त्यागपत्र देता है, तो राज्य शासन के नियमों के अनुसार एक माह पूर्व सूचना देना होगा अथवा एक माह का वेतन एकमुश्त कार्यालय में जमा करना होगा।
8. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी एवं बिना कारण बताये कभी भी सेवा समाप्त की जा सकती है।